

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2013—कार्तिक 4, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 17(ई)-454-2013-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, एतद्द्वारा, श्रीमती शोभा मेनन, वरिष्ठ अधिवक्ता, जबलपुर एवं श्रीमती सुधा पण्डित, अधिवक्ता, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है.

In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the State Government, in consultation with the Acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby nominate Smt. Shobha Menon, Senior Advocate, Jabalpur and Smt. Sudha Pandit, Advocate, Jabalpur as Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years from the date of their assuming charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.